# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या 160/2020 जिला दौसा**

1. राजेन्द्र पुत्र जगदीश
2. रामस्वरूप पुत्र जगदीश
3. मु0 छोटी पत्नि जगदीश
4. ममता पुत्री जगदीश
5. कमलेश पुत्र जगदीश
   जाति बैरवा निवासी ग्राम अरनियां तहसील बसवा जिला दौसा।
6. मु0 शान्ति देवी पत्नि दुर्गालाल पुत्री खैराती जाति बैरवा निवासी बीनावाला तहसील दौसा
7. मु0 कमला देवी पत्नि पूरणमल पुत्र खैराती जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा।
8. गुलाब देवी पत्नि प्रकाश पुत्री खैरातीलाल जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील दौसा।
9. लादूराम पुत्र हरसहाय जाति बैरवा निवासी बीनावाला तहसील व जिला दौसा।
10. मु0 भोली देवी पुत्री हरसहाय जाति बैरवा निवासी खोर्राकला तहसील दौसा।
11. मु0 गीता देवी पुत्री हरसहाय पत्नि घनश्याम जाति बैरवा निवासी सीतापुरा तहसील दौसा।
12. मु0 बीला देवी पुत्री हरसहाय पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी गोला का बास तहसील राजगढ जिला अलवर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामजीलाल
2. हरिसिंह पुत्र रामसहाय
3. भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस.डी.ओ. बांदीकुई जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम धारा 75 विरूद्ध निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 29.06.2018 प्रकरण संख्या 18/2012 प्रार्थना पत्र 14(4) उनवानी बाबूलाल बनाम जानकी देवी वगै0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित—

1. श्री बृजमोहन गौड वकील अपीलान्ट
2. श्री दयाराम गुर्जर वकील रेस्पोडेन्ट 1
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक —06.09.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 958 के वर्तमान खसरा नं. 2304/3958 रकबा 2.63 है0 का आवंटन अपीलांट के पूर्वज खैराती को दिनांक 28.09.1970 को हुआ। उक्त भूमि के आवंटन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत कर निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 28.09.2070 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

Scanned by CamScanner

अति0 जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.06.2018 से व्यथित होकर अपीलांट राजेन्द्र पुत्र जगदीश द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 29.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया प्रार्थी को भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा लगभग 48 वर्ष पूर्व दिनांक 28.09.1970 को ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 958 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार विधिवत खैरातीलाल के नाम कर दिया गया एवं पट्टा आवंटी के नाम प्रचलित फरमा दिया। खैरातीलाल की मृत्यु उपरान्त उसके उत्तराधिकारीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं आंवटन की सभी शर्तो का पालना की गई। तत्पश्चात् उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रेती गीता देवी पत्नि रामसिंह जाति बैरवा को दिनांक 20.03.2013 को विक्रय कर दी गई एवं कब्जा सम्भलवा दिया गया और वर्तमान में काबिज है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 2 गुर्जर जाति के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 45 वर्षो बाद प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत कर अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर मौका प्रतिवेदन दिनांक 11.08.1998 व दिनांक 02.01.2017 को आधार बनाकर आवंटन आदेश निरस्त करवा लिया जबकि रेस्पोडेण्ट को अनुसूचित जाति की भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ना ही उक्त भूमि उनके कब्जे काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व कब्जे की जॉच किये बिना ही लगभग 48 वर्षो बाद आंवटन निरस्त किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर दिनांक 29.06.2018 को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये:–

1. आर.आर.टी. 2008(1) पैरा 610
2. आर.आर.टी. 2009 पैरा 112
3. आर.आर.टी. 2009 पैरा 201
4. आर.आर.टी. 2008 पैरा 435
5. आर.आर.टी. 2007 पैरा 687
6. आर.आर.टी. 2002 पैरा 3
7. आर.आर.टी. 2009 पैरा 258
8. आर.आर.टी. 2016(1) पैरा 82

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा

रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त भूमि पर आवंटी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है जिस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कराई गई जॉच रिपोर्ट तहसीलदार बसवा दिनांक 11.08.1998 में स्पष्ट रूप से भूमि की किस्म बंजड बताई गई है और अपीलांट का कब्जा ना होना बताया गया है एवं मौका कमिश्नर जॉच रिपोर्ट 02.01.2017 से भी यह साबित होता है कि सरकार द्वारा जिस उद्देश्य से उक्त भूमि आवंटित की गई थी उसकी शर्तो की पालना नहीं की गई। अपीलांट द्वारा आंवटित रकबे पर आवंटन के दो–तीन साल में काश्त करने का कोई रिकार्ड भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि आवंटन की शर्तो का पालन किया गया है। आवंटी को खातेदारी वर्ष 2013 में दिया जाना अंकित किया है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) वर्ष 2011 में ही पेश कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. मय दस्तावेज पेश किये जिन्हे रिकार्ड व लिया जाकर शामिल मिसल किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका प्रतिवेदन दिनांक 11.08.1998 व



Scanned by CamScanner

दिनांक 02.01.2017 के आधार पर नियमानुसार आवंटन आदेश निरस्त फरमाया है जो उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम अरनिया तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 958 के वर्तमान खसरा नं. 2304/3958 रकबा 2.63 है0 का आवंटन खैराती के नाम दिनांक 28.09.1970 को किया गया जिसका बाद में विरासत का नामान्तरकरण खोला गया एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् भूमि का विक्रय किया गया। आवंटन को लगभग 40 वर्ष पश्चात् चुनौती दी गई। आवंटन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि कब्जे का बिन्दु सक्षम न्यायालय में उभयपक्षों की साक्ष्य लिए जाने के उपरान्त ही निर्धारित किया जा सकता है। मात्र मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर कब्जे का बिन्दु निर्धारित नहीं किया जा सकता है। मौका कमिश्नर द्वारा सिर्फ मौका की स्थिति बताई जा सकती है परन्तु कब्जा किस व्यक्ति का है इस बिन्दु का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त ही निर्धारित किया जा सकता है। आवंटन के 48 वर्ष पश्चात् एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त प्राइवेट व्यक्ति के प्रार्थना पत्र 14(4) के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि खातेदारी अधिकारों को दावे के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है तथा सक्षम न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकरण में सद्भावी क्रेता भी प्रभावित पक्षकार है जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा ही खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 29.06.2018 विधिक रूप से उचित नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है कि**: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 29.06.2018 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

**( डॉ. गिरीश पाराशर )**
**अति. संभागीय आयुक्त,**
**जयपुर**

Scanned by CamScanner